

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN TO INFORM THAT M/S ROF INFRATECH AND HOUSING PRIVATE LIMITED (COMPANY) UNDER THE MIGRATION POLICY DATED: 18.02.2016 AND AS AMENDED DATED: 24.01.2018 OF TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HAS PROPOSED TO MIGRATE LICENSE NO. 109 OF 2013 GRANTED FOR SETTING UP OF RESIDENTIAL GROUP HOUSING COLONY FOR TAKING LICENSE OF AFFORDABLE PLOTTED HOUSING COLONY (DEEN DAYAL JAN AWAS YOJNA POLICY-2016) AND THE COMPANY HAS RECEIVED THE LETTER OF INTENT (LOI) FROM DTCP, HARYANA, CHANDIGARH VIDE ITS MEMO NO. LC-4523/JE(MK)/2021/21060 DT. 24.08.2021. FURTHER INFORMED THAT THE COMPANY HAS NOT CREATED ANY THIRD PARTY RIGHTS ON THE APPLIED LAND UNDER MIGRATION POLICY ON AN AREA MEASURING 14.775 ACRES. IF ALLOTTEE OF THE LICENSE COLONY (UNDER LICENSE NO. 109 OF 2013)/ GENERAL PUBLIC HAS ANY OBJECTION TO THE ABOVE STATED MIGRATION, THE SAME MAY BE SUBMITTED IN THE OFFICE OF DISTRICT TOWN PLANNER, GURUGRAM WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THE PUBLIC NOTICE. THIS IS HEREBY ALSO INFORMED THAT THE PROPOSED LAYOUT PLAN ARE AVAILABLE ON THE WEBSITE OF THE COMPANY I.E. WWW.ROF.CO.IN AND AT THE OFFICE OF DEVELOPER/ COLONIZER AS WELL AS IN THE OFFICE OF DISTRICT TOWN PLANNER, GURUGRAM.

FOR ROF INFRATECH AND HOUSING PRIVATE LIMITED

SD/-

DIRECTOR

OFFICE ADDRESS: BUILDING NO. 80, 1ST FLOOR, SECTOR-44,
GURUGRAM. HARYANA

सार्वजनिक सूचना

इस विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक सूचना दी गई है कि माइग्रेशन पॉलिसी दिनांक: 18.02.2016 के तहत मेसर्स रॉफ इंफ्राटेक और हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) द्वारा संशोधित सूचना के रूप में: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के दिनांक : 24.01.2018 को माइग्रेट करने का प्रस्ताव किया था। लाइसेंस संख्या 2013 के 109 किफायती प्लॉट हाउसिंग कॉलोनी (दीनदयाल जन आवास योजना नीति-2016) का लाइसेंस लेने के लिए आवासीय समूह हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त हो चुकी है तथा कंपनी को डीटीसीपी, चंडीगढ़, हरियाणा से अपने मेमो नंबर के माध्यम से कमीशन ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्राप्त हुआ है। एलसी-4523/जेई (एमके)/2021/21060 दिनांक 24.08.2021. के संदर्भ में बताया गया है कि कंपनी ने 14.775 एकड़ क्षेत्र पर माइग्रेशन पॉलिसी के तहत एप्लाइड लैंड पर किसी भी व्यक्ति विशेष को थर्ड पार्टी राइट नहीं बनाया है। यदि लाइसेंस कॉलोनी के आवंटी (2013 के लाइसेंस संख्या 109 के तहत) / आम व्यक्ति विशेष को उपरोक्त बताए गए माइग्रेशन पर कोई आपत्ति है, तो उसे सार्वजनिक सूचना जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जिला टाउन प्लानर, गुरुग्राम के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रस्तावित दस्तावेज प्लान कंपनी की वेबसाइट यानी WWW.ROF.CO.IN और डेवलपर/कॉलोनाइजर के कार्यालय के साथ-साथ जिला टाउन प्लानर, गुरुग्राम के कार्यालय में उपलब्ध है।

रॉफ इंफ्राटेक और हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड

एसडी/-

निदेशक

ऑफिस पता: बिल्डिंग नंबर 80, पहली मंजिल, सेक्टर-44, गुरुग्राम। हरियाणा
विज्ञापन